

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर।
(जिला शस्त्र शाखा)
"आदेश"

पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के पत्रांक 67/चुनाव, दिनांक 09.04.2011 द्वारा अपराधी कृष्ण मुरारी यादव पे0 नारायण यादव साकिन कटरिया थाना मुफसिल जिला मुंगेर एवं उनकी पत्नी अर्चना देवी के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति को निम्नांकित काण्डों में आरोपित रहने के कारण उनके लाईसेंसी रायफल एवं पिस्टल तथा उनकी पत्नी की राईफल रद्द करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है।

01. मुफसिल थाना काण्ड सं0 188/94 दिनांक 22.09.1994 घारा 302/34 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
02. मुफसिल थाना काण्ड सं0 276/07 दिनांक 29.12.2007 घारा 302/34 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
03. मुफसिल थाना काण्ड सं0 206/09 दिनांक 10.08.2009 घारा 379/34 भा0दं0वि0 एवं 33/41/42 वन अधिनियम
04. मुफसिल थाना काण्ड सं0 207/09 दिनांक 10.08.2009 घारा 147/148/149/323/153 (A) /307/379 भा0दं0वि0
05. मुफसिल थाना काण्ड सं0 209/09 दिनांक 10.08.2009 घारा 147/148/149/341/ 323/324/ 307/379/120 (B) भा0दं0वि0
06. मुफसिल थाना काण्ड सं0 210/10 दिनांक 10.08.2010 घारा 147/148/149/153(A)/307 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
07. मुफसिल थाना काण्ड सं0 213/09 दिनांक 13.08.2009 घारा 341/323/324/326/504/34 भा0दं0वि0
08. मुफसिल थाना काण्ड सं0 98/10 दिनांक 18.06.2010 घारा 379/405/427/420/467/120(B) /4/10 बी0एम0एम0सी0 Rule 1972 एवं विहार मिनरल प्रिभेट ऑफ एलिगल माईनिंग ट्रांसपोटेशन एवं स्टोरेज एक्ट 2003.
09. मुफसिल थाना काण्ड सं0 99/10 दिनांक 18.06.2010 घारा 25 (1-बी) a/26/35/आर्म्स एक्ट।
10. मुफसिल थाना काण्ड सं0 152/10 दिनांक 19.08.2010 घारा 147/148/149/ 341/323/436/ 427/307/504/506 भा0दं0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट

उपरोक्त काण्डों के आरोपित श्री कृष्ण मुरारी यादव पे0 नारायण यादव साकिन कटरिया थाना मुफसिल जिला मुंगेर से इस कार्यालय का ज्ञापांक 399/शस्त्र दिनांक 15.04.2011 एवं श्रीमति अर्चना देवी पति श्री कृष्ण मुरारी यादव पे0 नारायण यादव साकिन कटरिया थाना मुफसिल जिला मुंगेर से इस कार्यालय के ज्ञापांक 400/शस्त्र, दिनांक 15.04.2011 द्वारा कारण-पृच्छा की माँग की गई। उन्होंने अपने अधिवक्ता की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया जो संतोषजनक नहीं है।

पुनः पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के पत्रांक 974/सी0आर0, दिनांक 05.03.2012 द्वारा श्री कृष्ण मुरारी यादव पे0 नारायण यादव साकिन कटरिया थाना मुफसिल जिला मुंगेर का अपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है।

01. मुफसिल थाना काण्ड सं0 52/06 दिनांक 21.05.2006 धारा 147/148/149/307 भा0दं0वि0 एवं 25(1-बी) ए /26/27/35 शस्त्र अधिनियम में आरोप पत्र सं0 10/07 दिनांक 31.01.2007 को समर्पित किया गया है।
02. मुफसिल थाना काण्ड सं0 106/06 दिनांक 03.09.2006 धारा 448/341/323/384/34 भा0दं0वि0 में आरोप पत्र सं0 198/06 दिनांक 27.12.2006 को समर्पित किया गया है।
03. मुफसिल थाना काण्ड सं0 206/09 दिनांक 10.08.2009 धारा 379/34 भा0दं0वि0 एवं 33/41/42/ वन अधिनियम में आरोप पत्र सं0 299/09 दिनांक 30.11.2009 को समर्पित किया गया है।
04. मुफसिल थाना काण्ड सं0 207/09 दिनांक 10.08.2009 धारा 147/148/149/ 323/153(A)/ 307/379 भा0दं0वि0 में आरोप पत्र सं0 41/10 दिनांक 28.02.2010 को समर्पित किया गया है।
05. मुफसिल थाना काण्ड सं0 209/09 दिनांक 10.08.2009 धारा 147/148/149/342/ 323/324/307/379/120(B) भा0दं0वि0 में आरोप पत्र सं0 19/10 दिनांक 31.01.2010 को समर्पित किया गया है।
06. मुफसिल थाना काण्ड सं0 210/09 दिनांक 10.08.2009 धारा 147/148/149/153(A)/307 भा0दं0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में आरोप पत्र सं0 42/10 दिनांक 28.02.2010 को समर्पित किया गया है।
07. मुफसिल थाना काण्ड सं0 213/09 दिनांक 13.08.2009 धारा 341/323/324/326/504/34 भा0दं0वि0 काण्ड अनुसंधानन्तर्गत है। उक्त काण्ड में आरोपी जमानत पर है।
08. मुफसिल थाना काण्ड सं0 98/10 दिनांक 18.06.2010 धारा 379/405/427/420/465/467/ 120(B) भा0दं0वि0 4/40 वितार माईनर मिनरल कनसेटशनल रूल 1972, 4/07 विहार मिनरल प्रिवेक्ट ऑफ इलिगल माईनिंग ट्रांसपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज एक्ट 2003 एवं 26/33/41/42 फॉरेस्ट एक्ट में काण्ड अनुसंधानन्तर्गत है। इस काण्ड में आरोपी न्यायिक जमानत पर मुक्त है।
09. मुफसिल थाना काण्ड सं0 99/10 दिनांक 18.06.2010 धारा 25(1-बी) ए/26/35/शस्त्र अधिनियम में पूरक आरोप पत्र सं0 225/11 दिनांक 31.08.11 समर्पित किया गया है।
10. मुफसिल थाना काण्ड सं0 152/10 दिनांक 19.08.2010 धारा 147/148/149/341/ 323/436/ 427/307/504/506 भा0दं0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम पूरक आरोप पत्र सं0 21/12 दिनांक 31.01.2012 को समर्पित किया गया है।
11. मुफसिल थाना काण्ड सं0 77/11 दिनांक 12.04.2011 धारा 147/148/149/447/ 341/323/ 325/307/365/506 भा0दं0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम। काण्ड अनुसंधानन्तर्गत है। इस काण्ड में आरोपी न्यायिक जमानत पर है।

इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी कृष्ण मुरारी यादव का अपराधिक इतिहास अत्यन्त विस्तृत है एवं कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र समर्पित है।

अतएव, उपर्युक्त परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के प्रतिवेदन एवं अपराधिक इतिहास के मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त काण्डों में आरोपित रहने के कारण श्री कृष्ण मुरारी यादव पे0 नारायण यादव साकिन कटरिया थाना मुफसिल जिला मुंगेर के एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0 30/2003 पर धारित शस्त्र सं0 ए0बी0 -03 10487 एवं एन0पी0बोर रिवाल्वार अनुज्ञप्ति सं0 08/2005 पर धारित पिस्टल सं0 123229 को

रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर मेसर्स मॉर्गन आर्म्स कं०, शस्त्र विक्रेता, मुंगेर के प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चूँकि श्री यादव के विरुद्ध उपरोक्त काण्डों में आरोपित रहने के कारण उनकी पत्नी का एन०पी० बोर अनुज्ञप्ति 09/2005 पर धारित शस्त्र सं० ए० बी०-05-4151 को बने रहने पर श्री यादव द्वारा उक्त राईफल का इस्तेमाल करने की संभावना रहने के कारण उक्त अनुज्ञप्ति को भी रद्द करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। तदनुसार एन०पी०बोर राईफल अनुज्ञप्ति सं० 09/2005 को रद्द किया जाता है। श्रीमति अर्चना देवी पति कृष्ण मुरारी यादव सा० कटरिया थाना-मुफसिल जिला-मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को मेसर्स मॉर्गन आर्म्स कं०, शस्त्र विक्रेता, मुंगेर के प्रतिष्ठान में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। इस प्रकार इस आदेश से निम्न लिखित अनुज्ञप्तियां रद्द की जाती है।

क्र०	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	पिता/पति का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या	धारित शस्त्र क्रमांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	कृष्ण मुरारी यादव	नारायण यादव	30/2003	ए०बी०-03-10487
2.	कृष्ण मुरारी यादव	नारायण यादव	08/2005	123229
3.	श्रीमति अर्चना देवी	कृष्ण मुरारी यादव	09/2005	ए०बी०-05-4151

आदेश की प्रति सभी जिला दण्डाधिकारी, विहार राज्य को भेजी जाती है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

३०-
जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...../शस्त्र, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

श्री कृष्ण मुरारी यादव पे० नारायण यादव साकिन कटरिया थाना मुफसिल जिला मुंगेर/श्रीमति अर्चना देवी पति कृष्ण मुरारी यादव सा० कटरिया थाना-मुफसिल जिला-मुंगेर/मेसर्स मॉर्गन आर्म्स कं०, शस्त्र विक्रेता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्तियों रद्द करने हेतु एक सप्ताह के अन्दर अनुज्ञप्ति पुस्तिका जिला शस्त्र शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

३०-
जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...200.../शस्त्र, दिनांक...04/04/2012

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक, जमालपुर एवं थानाध्यक्ष, मुफसिल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी जिला दण्डाधिकारी, विहार को सूचनार्थ।

38
04/04/12
जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर।